मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR

F.No./CEO/ELC/2022/9841 Dated: 14.08.2022

"मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव : 2022–23"

छात्रसंघ चुनाव सत्र 2022 प्रत्याशी हेतु अर्हताएं तय की गई है।

1. नामांकन हेतु प्रत्याशी का शैक्षणिक सत्र 2021–22 एवं 2022–23 का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।
2. प्रत्याशी की अधिकतम आयु 1 अगस्त, 2022 को 25 वर्ष होगी, किन्तु विधि छात्रों हेतु यह आयु सीमा 28 वर्ष होगी।
3. शोध प्रतिनिधि पद पर प्रत्याशी के नामांकन हेतु अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है।
4. प्रत्याशी का किसी भी प्रकार की परीक्षा का पेपर बकाया नहीं होना चाहिये।
5. चुनाव आचार संहिता लागू होने से किसी भी प्रकार का पुनर्मुल्यांकन, गोपनीय परिणाम, पूरक परीक्षा परिणाम और परीक्षा परिणाम सुधार आदि की व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक स्थगित की गई है। इससे प्रत्याशी की योग्यता अप्रभावित रहेगी।
6. तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम (सत्र 2021–22) के नियमित विद्यार्थी जो इस चुनाव में मतदाता/प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहते हैं उन्हें अपनी न्यूनतम निर्धारित योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

   प्रत्याशी को 16 अगस्त, 2022 सांय 5 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी, निर्धारित प्रारूप में 100 रूपयें के स्टाम्प पेपर पर नोटरी सत्यापित शपथ–पत्र और 5000 रू. की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट "वित्त नियंत्रक, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर" के नाम पर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में जमा कराने होंगे।
7. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अस्थाई (प्रोविजनल) प्रवेश के आधार पर 2022–23 छात्रसंघ पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित/विजयी विद्यार्थी तृतीय वर्ष/अन्य अन्तिम सेमेस्टर में परीक्षा में पूरक, अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य किसी भी कारण से विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र 2022–23 में प्रवेश से वंचित होने पर उसका निर्वाचन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, तथा जमा कराई गई राशि 5000/रूपये जब्त हो जायेगी।

   स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर जमा 5000/रूपये की राशि पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित कर दी जायेगी।
8. नामांकन भरने वाले प्रत्याशी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
9. समेस्टर पद्धति में सत्र 2021–22 के स्नातक और स्नातकोत्तर के वे विद्यार्थी जो इस समय नियमित तौर पर अध्ययनरत है। वे इस चुनाव में अभ्यर्थी एवं मतदाता बनने के लिए योग्य होंगे।
10. पीएच.डी. शोधार्थी जिन्होंने अपना शिक्षण शुल्क वर्तमान सत्र का 16 अगस्त, 2022 शाम 05:00 बजे तक जमा करवा दिया है, वे ही मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में पात्र होगें।
11. अन्य विस्तृत जानकारी एवं शर्तें विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान में दी गई हैं। जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइः www.mlsu.ac.in पर देखा जा सकता है।

चुनाव के सफल संचालन के लिए सभी छात्रों से सहयोग की अपेक्षा है।

(छोगा राम देवासी)
मुख्य चुनाव अधिकारी एवं
रजिस्ट्रार